

विभिन्न योजनाओं में EWS/LIG/MIG-A वर्ग के 587 प्लैट्स एवं EWS/LIG वर्ग के 187 भूखण्ड के लिये
आवेदन

कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) तथा मध्यम आय वर्ग (MIG-A) के लिये निर्मित प्लैट्स तथा निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित भूखण्डों के आवंटन हेतु आय वर्गानुसार ऑनलाईन आवेदन जविप्रा की वेबसाइट अथवा ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं

क्र.स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी	मध्यम आय वर्ग (MIG-A) श्रेणी
1.	निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में प्लैट	43 प्लैट	191 प्लैट	—
2.	प्लैट का क्षेत्रफल (लगभग सुपर बिल्टप प्लैट सहित)	350 वर्ग फीट तक	351 से 550 वर्ग फीट तक	—
3.	निजी खातेदारी योजना में प्लैट की आवंटन दर	850 रुपये प्रति वर्ग फीट	850 रुपये प्रति वर्ग फीट	—
4.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत प्लैट	229 प्लैट	78 प्लैट	46 प्लैट
5.	प्लैट का क्षेत्रफल	325 वर्ग फीट तक	500 वर्ग फीट तक	700 वर्ग फीट तक
6.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत प्लैट की आवंटन दर	850 रुपये प्रति वर्ग फीट	850 रुपये प्रति वर्गफीट	1100 रुपये प्रति वर्ग फीट
7.	निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना में भूखण्ड	99 भूखण्ड	88 भूखण्ड	—
8.	निजी खातेदारी के भूखण्डों का क्षेत्रफल	45 वर्गमीटर तक	46 से 90 वर्गमीटर तक	—
9.	निजी खातेदारी योजना में भूखण्ड की आवंटन दर	योजना की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर	योजना की आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत पर	—
10.	परिवार की प्रतिमाह सकल आय सीमा (रुपये)	10,000 /— तक	10,001 /— से 15,000 /— तक	15,001 /— से 30,000 /— तक
11.	प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रति प्लैट/भूखण्ड) रुपये (असमायोजनीय)	10,000 /—	15,000 /—	20,000 /—

- ❖ आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर एक या एक से अधिक (अधिकतम 05) योजनाओं के प्लैटों एवं भूखण्डों के लिये आवेदन कर सकेगा।
- ❖ सभी योजनाओं में एक या एक से अधिक (अधिकतम 05) प्लैट एवं भूखण्ड के लिये आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रु. 200 /— एवं निर्धारित प्रशासनिक शुल्क राशि के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा। कुल प्रशासनिक शुल्क राशि कुल विकल्प वरीयताओं के अनुसार एक मुश्त ऑनलाईन जमा करानी होगी।
- ❖ ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र सेवादाता द्वारा लेय राशि निम्न प्रकार होगी :-

आवेदन फार्म भरने का ई-मित्र शुल्क (समस्त आवेदको से) रु. 20 /— तथा प्रशासनिक शुल्क जमा कराने के लिये निम्नानुसार शुल्क देय होंगे:-

क्र.सं.	प्रशासनिक शुल्क के आवेदनो के लिए	लेय शुल्क
अ	रुपये 5000.00 तक	रु. 10.00
ब	रुपये 5001.00 से 25000.00 तक	रु. 25.00
स	रुपये 25001.00 से 50000.00 तक	रु. 50.00
द	रुपये 50001.00 से 500000.00 तक	रु. 100.00

- ❖ योजनाओं में उपलब्ध प्लैट्स एवं भूखण्डों की संख्या में लॉटरी से पूर्व कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
- ❖ योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया व नियम तथा शर्तों की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

1. आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर आवेदको की सूची का प्रकाशन	23.08.2016
2. आमजन द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रवृष्टियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि	23.08.2016 से 06.09.2016 तक (15 दिवस)
3. प्राप्त आक्षेपों का सक्षम समिति द्वारा निस्तारण	13.09.2016 तक
4. प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम समिति द्वारा लिये गये निर्णय का प्रकाशन	16.09.2016
5. प्लैट/भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र आवेदकों की लॉटरी	21.09.2016

(पवन अरोडा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर